


7 ²/₂₃

पजावली पेशा डुई वकील प्राचीन उपस्थित, विपक्षीय
के सम्मन बाद तामिल लेकर प्राप्त हुए जिले शास्त्रि
पजावली दिये गये। विपक्षीय को कितनी मर्वा कड कर
कर आवाजे डिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके
विकल्प एक वर्षा कार्यवाही दिये जाने के आदेश दिये
जाते हैं। वकील प्राचीन का पत्र पत्र स्वीकर किया जाकर
निर्णय प्रथम से खिरना जाकर शास्त्रि पजावली
दिया गया। पजावली फैसल शुमार लेकर नग्वर
से कम है।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

तहसील अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या- 16/23 प्रथम

श्रीमती नारायणी देवी vs श्री गानु राम बलारि निवासी- गालडी-रोड़ा तहसील-माण्डल (राज0)

-प्रार्थी

वनाम

श्री राम vs श्री योगा बलारि निवासी- गालडी-रोड़ा तहसील-माण्डल (राज0)
(संबन्धित प्रथम प्रकरण)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक :- 10-02-23

::आदेश::

आर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन
प्रार्थी श्रीमती नारायणी देवी पटवार हल्का गोगास तहसील माण्डल में उसके
खाले की आरजी नं 639/2, 639/3, 78 कुल कित्ता 03 रकबा 0.2656
है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये
संबन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाले/संयुक्त खाले की भूमि की
के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20-01-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
प्रार्थी से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का
है। जैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते
के की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गालडी-रोड़ा पटवार
गोगास तहसील माण्डल में उसके खाले/संयुक्त खाले की आरजी नं 639/2, 639/3, 78
कित्ता 03 रकबा 0.2656 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी
माने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख
लुहारिया को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने
कराने को मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार
पत्थरगढ़ी की जावे। फासल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

नोट:- तहसीलदार माण्डल को गोजबर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
की की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा